निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 73/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र रामू जाति रेगर निवासी ग्राम धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शरद तिवाडी आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
2. कजोड पुत्र प्रभात
3. गंगाराम पुत्र प्रभात
4. बाबूलाल पुत्र प्रभात
5. बोदू पुत्र प्रभात

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

मुख्य अप्रार्थीगण

6. अर्जुन पुत्र रामू
7. प्रहलाद पुत्र रामू
8. किशोर पुत्र रामू
9. लक्ष्मण पुत्र रामू
10. बनवारी पुत्र रामू
11. नारायणी पुत्री रामू
12. फूला पुत्री रामू पत्नी रमेश

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2024 ब उनवानी कजोड बनाम अर्जुन व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री ब्रजेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांक 01.07.2024**

संक्षेप में मुवक्किल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2024 व इनवानी कजोड बनाम अर्जुन व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 का विचाराधीन है। जिसमें तलबी प्रतिवादीगण की आदेशिका जारी की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादीगण को बिना सम्यक रूप से तामील जारी किये बिना ही आदेशिका दिनांक 05.02.2024 के अनुसार एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित करते हुये मामले का प्राथमिक रूप से ट्रेकिंग रसीद के आधार पर तथाकथित रूप से तामिल मानते हुये डिक्री कर दिया जिसकी जानकारी होन के पश्चात प्रार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो वर्तमान में लम्बित है चूंकि अपील अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो रही है जिसका बिना किसी कानूनी अधिकार बेजा फायदा उठा कर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पूर्व में पारित प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में आनन फानन में कुर्रेजात मंगवा कर अन्तिम डिक्री पारित करने पर आमादा है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दिनांक 29.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय परिसर में स्थित पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में लगभग 1 घंटा बैठ कर कानाफूसी की कि अपना मामला बैठ गया है अब तो यह लोग किसी भी सूरत में अपना कुछ नहीं बिगाड सकते है । अपने मन चाहे हिसाब से मौके की भूमि लेकर तकासमा करवा लेंगे। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट रूप से प्रार्थी का अन्देशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी मौका पाकर मामले को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही निर्णय डिक्री जारी कर देंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार बार अनुरोध कर चुके है कि प्राथमिक डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन रहते आप प्रकरण में अन्तिम फैसला नहीं कर सकते है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही प्रार्थी के अधिकारों के साथ कुठाराघात कर रहे है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो प्रकरण अन्य सक्षम अधिकारी के यहां स्थानान्तरण करवा कर प्रकरण का निस्तारण करवाये। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि राजनैतिक पहुंचवाला

ह०/-
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

व्यक्ति है जिसके द्वारा गांव के लोगों से यह कहा जा रहा है कि आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण का फैसला हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याहित में आवयश्क है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देने की गरज से मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे। ।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ख़ारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैंक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)